संख्या:-192/2023/आई436896/402आ0-23-5002-002-2023

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 30 नवम्बर, 2023**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक 2059-80-053-06-00-12 "कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" मद के अन्तर्गत जनपद अयोध्या व कानपुर नगर के 03 कार्यों हेतु प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक 2059-80-053-06-00-12 "कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" मद के अन्तर्गत जनपद अयोध्या व कानपुर नगर के 03 कार्यों हेतु शासनादेश सं0-101/2023/001-419-23-5-23-18भवन-2023, दिनांक 28.04.2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के निवर्तन पर उक्त लेखाशीर्षक में रखी गयी धनराशि के सापेक्ष प्राप्त कुल आगणन लागत **रू0 577.48 लाख(रू0 पाँच करोड़ सतहत्तर लाख अड़तालिस हजार मात्र)** की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	जनपद एवं खण्ड	कार्य का नाम	आगणन लागत
1	2	3	4	5
				(धनराशि लाख रू0 में)
1	955बीजीबी/112बीजीबी/नि0ख0-2 अयोध्या/अना04971/2023-24, दिनांक 07.11.2023	अयोध्या (निर्माण खण्ड-2 अयोध्या)	अयोध्या में राष्ट्रीय मार्ग-28 के किमी0-93 के किनारे स्थित पुराने डाक बंगले परिसर में 20 सूट कक्ष के निरीक्षण गृह एवं मीटिंग हाल में साज-सज्जा का कार्य।	186.53
2	तदैव	कानपुर (निर्माण खण्ड भवन कानपुर नगर)	कानपुर नगर स्थित प्रेसिडेन्सियल सूट्स व वी0वी0आई0पी0 सूट्स में फर्नीचर व साज-सज्जा एवं डिजिटल सिस्टम, कान्फ्रेन्सिंग सिस्टम वीडियो का कार्य।**(सिविल कार्य)**	233.90
		वि0/यॉ0 खण्ड, कानपुर	कानपुर नगर स्थित प्रेसिडेन्सियल सूट्स व वी0वी0आई0पी0 सूट्स में फर्नीचर व साज-सज्जा एवं डिजिटल सिस्टम, कान्फ्रेन्सिंग सिस्टम वीडियो का कार्य।**(विद्युत कार्य)**	157.05
कुल योग :- (रू0 पाँच करोड़ सतहत्तर लाख अड़तालिस हजार मात्र)				**577.48**

1- प्रश्नगत कार्यों हेतु क्रय किये जाने वाले सामान सम्बन्धित मण्डलायुक्त की संस्तुति प्राप्त करते हुए शासन स्तर से अनुमोदनोपरान्त ही क्रय किये जायेंगे।

2- प्रश्नगत कार्यों हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

5- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

7- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

10- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग निर्धारित बजटीय सीमा में किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधिनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:-192/2023/आई436896/402आ0(1)-23-5-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी अयोध्या व कानपुर नगर।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या व कानपुर नगर।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र व कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधी0अभि0, अयोध्या वृत्त, कानपुर वृत्त व 17वॉ(वि0/यॉ0) वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, वाराणसी।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, कानपुर नगर।
15- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर।
16- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in